समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला गोपनीय शाखा)

मो0 सोहैल, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक 16-02-2016 को विद्युत विभागीय संबंधी किये गये कार्यो की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :-

1. जिलाधिकारी, मधेपुरा
2. नोडल पदाधिकारी, विद्युत, मधेपुरा
3. कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा
4. कार्यपालक अभियंता, विद्युत परियोजना, मधेपुरा
5. जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा
6. सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा
7. सहायक अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज
8. राजस्व पदाधिकारी, मधेपुरा
9. श्री शिवशंकर, सहायक अभियंता, परियोजना
10. कनीय अभियंता, विद्युत, मधेपुरा शहरी
11. कनीय अभियंता, विद्युत, मधेपुरा ग्रामीण
12. कनीय अभियंता, विद्युत, सिंहेश्वर
13. कनीय अभियंता, विद्युत, मुरलीगंज
14. कनीय अभियंता, विद्युत, कुमारखण्ड
15. कनीय अभियंता, विद्युत, आलमनगर /चौसा
16. कनीय अभियंता, विद्युत, ग्वालपाड़ा
17. कनीय अभियंता, विद्युत, बिहारीगंज
18. कनीय अभियंता, विद्युत, उदाकिशुनगंज
19. रीडिंग एजेंसी शहरी क्षेत्र, मधेपुरा
20. मो0 सुलतान, शहरी मीटर रीडर
21. श्री ए0कुमार, बिलिंग एजेंसी
22. श्री प्रमोद कुमार, एस0जी0आई0पी0एल0
23. मो0 रमीज राजा, एल0आई0एल0
24. लेमिनो इन्डस्ट्रीज लि0
25. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, टेक्नोफेब इंजिनियरिंग लि0
26. श्री शेखर सुमन, फीडबैक इन्फ्रा प्रा0लि0

जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारी /अभियंता /कर्मी एवं संवेदकों को बैठक में भाग लेने हेतु स्वागत किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि विद्युत विभाग के

कार्य-कलापों की समीक्षा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक माह मुख्य सचिव महोदय द्वारा की जाती है एवं अपेक्षित सुधार हेतु सख्त निदेश दिये जाते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अभियंता, एजेन्सी एवं संवेदक अपना-अपना कार्य लगनशील होकर एवं ईमानदारी पूर्वक करें। चूंकि यह टीमवर्क है, एक का भी खराब प्रदर्शन, पूरी टीम के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता अमान्य होगी और दोषी पदाधिकारी /कर्मचारी के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

(2) ट्रांसफार्मर :-

(i) कार्यपालक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा द्वारा जिला में अधिष्ठापित ट्रान्सफर्मर के संबंध में जानकारी दी गई। जिलाधिकारी द्वारा ट्रांसफार्मर की विस्तृत समीक्षा की गयी।

➢ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस माह में चौसा में 01 ट्रांसफार्मर जले हैं। ट्रांसफार्मर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग की गयी, किन्तु उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

➢ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि गत माह में कुल-121 ट्रांसफार्मर का मेनटेनेंस किया गया है। सभी संबंधित कनीय अभियंता /सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि ट्रांसफार्मर का मेनटेनेस शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा /सभी सहायक अभियंता /सभी कनीय अभियंता /सभी संवेदक /सभी एजेन्सी)

(3) <u>Meter Insatllation</u>

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीटर इन्स्टॉलेशन की स्थिति जस की तस है, जिस पर खेद व्यक्त किया गया।

कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि इस माह में मीटर की कमी के कारण मीटर नहीं लगाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी कि जब मीटर ही नहीं बदला गया है, तो बिलिंग /रीडिंग नहीं हुआ होगा और राजस्व की वसूली भी नहीं हुई होगी। पूर्व की बैठक में कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि इस जिले में कुल कितने मीटर की आवश्यकता है तथा आवश्यकता के अनुसार मीटर प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। वे इससे संबंधित अधियाचना विभागीय पदाधिकारी को देंगे तथा इसकी सूचना जिलाधिकारी को देंगे। परन्तु, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछा जाए तथा इसकी सूचना विभाग को दी जाए।

➢ जिलाधिकारी द्वारा सभी कनीय /सहायक अभियंता को निदेशित किया गया कि सभी उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठान में शत-प्रतिशत मीटर इन्स्टॉल किया जाए, ताकि सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लग सके। साथ ही कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निदेश दिया गया कि संबंधित एजेंसी द्वारा मीटर शत-प्रतिशत लगाया जा रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा अपने स्तर से करें तथा हरहाल में मीटर शत-प्रतिशत लगवाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-कार्य0अभि0 /सहायक अभियंता, विद्युत, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज)

(4) Billing

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र में मात्र 41.27 प्रतिशत एवं उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र में मात्र 32.32 प्रतिशत मीटर रीडिंग किया गया है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति है। पूर्व की बैठक में सुधारने का निदेश कार्यपालक अभियंता को दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि वे इस माह में बेहतर प्रगति लावे अन्यथा उनके विरूद्ध विभाग को लिखा जाएगा। राजस्व पदाधिकारी से पृच्छा की गयी कि शत-प्रतिशत रीडिंग क्यों नहीं हो रहा है तथा राजस्व वसूली कम क्यों हो रही है, इस संबंध में जवाब नहीं दे सके। निदेश दिया गया कि प्रत्येक फ्रेंचाइजी का 20-20 बिल संबंधित कनीय अभियंता जांच करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे यह पता चल सके कि किसी फ्रेंचाइजी द्वारा क्षेत्र में गलत बिल डिस्ट्रीब्यूट कर कम राशि तो जमा नहीं की जा रही है। राजस्व पदाधिकारी इससे संबंधित अपना स्पष्टीकरण कार्यपालक अभियंता के माध्यम से जिलाधिकारी को देंगे।

(अनुपालन-कार्य0अभि0/सभी सहायक /कनीय अभियंता)

(5) T&D loss / राजस्व संग्रहण

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इस जिले में कुल 243.01 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति हुई है तथा इसके विरूद्ध मात्र 45.15 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो कि संतोषजनक स्थिति नहीं है। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा ग्रामीण क्षेत्र /सिंहेश्वर प्रखण्ड में पिछले माह की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बिजली दी गई है, पर राजस्व उस अनुपात में बढ़ने की बजाए घट गया है। उसी प्रकार मधेपुरा शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति घटाई गई, यहां पर राजस्व संग्रहण का प्रतिशत लक्ष्य के अनुरूप रहता है। जिलाधिकारी के द्वारा कार्यपालक अभियंता से पृच्छा की गई कि किस परिस्थिति में विद्युत आपूर्ति में अनियमितता बरती गई है। कार्यपालक अभियंता इसे स्पष्ट नहीं कर सके। नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि इससे संबंधित स्पष्टीकरण पत्र, कार्यपालक अभियंता से पूछी जाए तथा इसकी सूचना विभाग को दी जाए। पूर्व की बैठक में कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि राजस्व संग्रहण में अंतिम तीन (न्यूनतम) कनीय अभियंता के क्षेत्र में जांच कर प्रतिवेदन जिलाधिकारी के समक्ष एक सप्ताह के अंदर दें। परन्तु, ऐसा प्रतिवेदन उपस्थापित नहीं किया गया। कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि प्राप्त बिजली के विरूद्ध शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहण सुनिश्चित किया जाए तथा दोषी कर्मी जो लापरवाही बरतते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाए।

(अनुपालन-कार्यपालक अभि0,विद्युत/सभी सहायक अभि/सभी कनीय अभि0/सभी एजेन्सी)

(6) विद्युत विच्छेदन (Disconnection)

- समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मधेपुरा अनुमण्डल क्षेत्र में 2869 एवं उदाकिशुनगंज अनुमण्डल क्षेत्र में 2897 अर्थात कुल-5766 उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेदन हेतु लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन मात्र 593 उपभोक्ताओं का विद्युत विच्छेदन किया गया है, जिसमें 118.19 लाख रू0 वसूली हुई है, जो 35 प्रतिशत है। स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी।